

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

# प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

**सं. 1403**] No. 1403] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अप्रैल 11, 2019/**चैत्र** 21, 1941

NEW DELHI, THURSDAY, APRIL 11, 2019/CHAITRA 21, 1941

### वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

## अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2019

का.आ. 1582(अ).—स्वापक औषधि और मन:प्रभावी पदार्थ अधिनियम, 1985 (1985 का 61) की धारा 42 की उप-धारा (1) और धारा 67 के तहत् प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार, एतद् द्वारा, रेलवे सुरक्षा बल के सहायक उपनिरीक्षक व उनसे ऊपर वाले पदों के अधिकारियों को यह शक्ति प्रदान करती है कि वे अपने क्षेत्राधिकार के भीतर, धारा 42 के अंतर्गत दी गई शक्तियों का प्रयोग कर सकते हैं और अपने कर्तव्यों का निर्वहन कर सकते हैं साथ ही साथ उक्त अधिकारियों को इस बात के लिए प्राधिकृत करती है कि वे धारा 67 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग कर सकें।

[फा. सं. एन-11012/06/2010-एन सी-II]

तपन कुमार सतपथी, अवर सचिव

# MINISTRY OF FINANCE (Department of Revenue) NOTIFICATION

New Delhi, the 11th April, 2019

**S.O. 1582(E).**—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 42 and section 67 of the Narcotic Drugs and Psychotropic Substances Act, 1985 (61 of 1985), the Central Government hereby empowers the officers of the Railway Protection Force, of the rank of Assistant Sub-Inspector and above, to exercise the powers and perform the duties specified under section 42 within the areas of their respective jurisdiction and also authorise the said officers to exercise the powers conferred upon them under section 67.

[F. No. N-11012/6/2010-NC-II] T K SATPATHY, Under Secy.

2124 GI/2019